न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/19/2026	2025/76	10.04.2026	20.05.2026

1– रिशि (ऋषि) कुमार पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– अशोक कुमार पुत्र रमेश चन्द जाति अहीर निवासी हींगवाहेडा तहसील तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी दाउदपुर अलवर।
3– सुधीर गुप्ता पुत्र धनश्याम दास गुप्ता निवासी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)
4– भारत भूषण पुत्र हीरालाल निवासी वार्ड न0 19 खैरथल तहसील व जिला खैरथल–तिजारा।
5– मधुबाला पत्नी अमित कुमार गुप्ता निवासी तिजारा तहसील तिलारा।

असल रेस्पॉडेन्ट

6– जिले सिंह पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी बिरामपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।
7– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा दिनाक 29.12.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट को बिना अवसर दिये ही आराजी का विभाजन किया गया है।

उपस्थित–
01. श्री संजय यादव —वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उपस्थित दिखाते हुऐ बिना सुने विवादित आराजी का विभाजन किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा एक आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के समक्ष दिनाक 24.12.2025 को पेश किया। जिस पर अपीलान्ट के कुटरचित फर्जी हस्ताक्षर विरचित करते हुऐ आवेदन को असल के रूप में उपयोग करते हुऐ प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट करवाई जाकर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी है। और आनन फानन में उक्त रिपोर्ट के आधार पर बिना विस्तृत निर्णय व बिना विस्तृत जॉच किये तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करते हुऐ विवादित आराजी खसरा न0 70 रकबा 0.51 है0, 75 रकबा

0.40 है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा का विभाजन कुटरचित आवेदन के साथ प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट एवं सहमति विभाजन इकरारनामा के आधार पर विभाजन कर दिया गया है।
रेस्पोडेन्ट की तलवी हेतु रजिस्टड नोटिस जारी किये जिनकी रसीदे पेश की गयी जो शामिल मिसल की गयी। रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुऐ।
हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि असल रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहत अदालत के समक्ष दिनाक 24.12.2025 को पेश कर जिस पर अपीलान्ट के कुटरचित फर्जी हस्ताक्षर विरचित करते हुऐ आवेदन को असल के रूप में उपयोग करते हुऐ प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तलब करवाई जाकर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। और आनन फानन में उक्त रिपोर्ट के आधार पर बिना विस्तृत निर्णय व बिना विस्तृत जॉच किये तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करते हुऐ विवादित आराजी खसरा न0 70 रकबा 0.51 है0, 75 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा का विभाजन कुटरचित आवेदन के साथ प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट एवं सहमति विभाजन इकरारनामा के आधार पर विभाजन कर दिया गया है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि उसकी अनुपस्थित में रेस्पोडेन्ट के द्वारा फजी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तहत अदालत के समक्ष पेश कर आराजी का विभाजन किया गया है, इस संबंध में जॉच कर निर्णय पारित किये जाने का अधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजा को नही है। उक्त क्रंम में विधिक प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय 29.12.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा